

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री महेन्द्रसिंह गोयल पुत्र श्री सुन्दरसिंह गोयल  
जाति गोयल  
निवासी नयावास नं. 02  
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 38 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इसा हुकम की मामिल म जारी हुए
22.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मनु मेवाडा सभापति नगर परिषद सिरोही के पूर्व में कितने प्रकरण चल रहे हैं और इन पर कौन-कौन सी धारा लगी हुई है। निर्वाचन के समय इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मनु मेवाडा सभापति नगर परिषद सिरोही के पूर्व में कितने प्रकरण चल रहे हैं और इन पर कौन-कौन सी धारा लगी हुई है। निर्वाचन के समय इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरोही

